इन्हें जानिए और लाभ लें

केंद्र एवं राज्य शासनों के द्वारा समय-समय पर जनता को सुविधा प्रदान करने हेतु परिपत्र या अधिसूचनाएँ जारी की जाती है। उनकी समुचित जानकारी के अभाव में शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं/व्यवस्थाओं का लाभ लेने से जन सामान्य वंचित रह जाता है। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा निर्गमित तीन शासनादेशों को नीचे सूचित किया जा रहा है। इनके आधार से मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के निवासी इनका सदुपयोग कर/करा सकते हैं। साथ ही अन्य राज्यों में स्थित व्यक्ति प्रदेश में इस प्रकार के शासनादेशों की जनकारी प्राप्त करके जन सामान्य को सुलभ कराने हेतु प्रचारित कर सकते हैं। कदाचित् इस प्रकार के शासनादेश अन्य प्रांतों में यदि वर्तमान में जारी नहीं किए गए हों तो प्रबुद्ध एवं जागरुक श्रावक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी, राजनैतिक दलों से संबद्ध कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार के शासनादेश अपने प्रदेशों में भी निर्गमित कराने हेतु सार्थक एवं समुचित प्रयास करें।

अ. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव बी.एस. वर्मा के हस्ताक्षर से परिपत्र क्रमांक/एम-3/15-85/1/4 भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 1985 को प्रसारित किया गया था। म.प्र. शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष-राजस्व मंडल-ग्वालियर, समस्त संभागाध्यक्ष, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिलाध्यक्षों को 'अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जैन धर्मावलंबी शासकीय कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने बाबत' निर्देश जारी किया गया था। उपर्युक्त परिपत्र में निर्देशित किया है कि 'राज्य शासन द्वारा निर्णल लिया गया है कि अनंत चतुर्दशी पर्व के उपलक्ष्य में शासकीय सेवाओं/संस्थाओं में कार्यरत सभी जैन धर्मावलंबी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। यह विशेष आकस्मिक अवकाश उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जिन्होंने इस दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हो।'

ब. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन के स्थानीय शासन विभाग के अवर सचिव एस.पी. वर्मा के हस्ताक्षर से परिपत्र क्रमांक 906/69 मं./18-3/90, भोपाल, दिनांक 18.5.90 को शासनादेश जारी हुआ था। इसमें संचालक- नगर प्रशासन, भोपाल, समस्त जिलाध्यक्ष एवं समस्त संभागीय उपसंचालक- नगर प्रशासन, मध्यप्रदेश को 'विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंन रखने बाबत' विषयक निर्देशित किया है कि 'आपके क्षेत्र में स्थित समस्त स्थानीय निकायों को तदनुसार उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करें। इस विभाग ने अपने ही पूर्व के परिपत्र क्रमांक-5566/330/18/नगर/ एक, दिनांक 16 अगस्त 1971 को निरस्त करते हुए राज्य शासन के उपर्युक्त परिपत्र के माध्यम से आदेशित किया है कि नीचे दिए गए विशिष्ट अवसरों पर, स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद रखी जाया करें। राज्य शासन द्वारा इस हेतु जिन 17 विशिष्ट अवसरों का निर्धारण किया है, वे निम्नलिखित हैं :

(1) गणतंत्र दिवस, (2) गाँधी निर्वाण दिवस, (3) महावीर जयंती, (4) बुद्ध जयंती, (5) स्वतंत्रता दिवस, (6) गाँधी जयंती, (7) रामनवमी, (8) डोल ग्यारस, (9) पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन, (10) पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन, (11) अनंत चतुर्दशी, (12) जन्माष्टमी, (13) संत तारण तरण जयंती, (14) पर्यूषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा, (15) भगवान महावीर के 2500वें निर्माण,(16) चैती चांद एवं (17) गणेश चतुर्थी।

स. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा परिपत्र क्रमांक एम-3-5/1990/1/4, भोपाल दिनांक 17 जनवरी 1992 को निर्गमित हुआ था। इस परिपत्र के अनुसार जैन कर्मचारियों को राज्य शासन के द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसमें उल्लेखित है कि 'राज्य शासन द्वारा श्वेताम्बर एवं दिगम्बर जैन धर्मावलंबी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके पर्यूषण पर्व के लिए क्रमशः भाद्रपद कृष्ण 11 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी या पंचमी तक और भाद्रपद शुक्ल पक्ष 5 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष 15 तक धार्मिक कृत्य करने के लिए कार्यालय में 12 बजे तक पहुँचने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते कि इससे शासकीय कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और कर्मचारी अपना कार्य अद्यतन रखें।'

पाठकों से अपेक्षा है कि उक्त तीनों परिपत्रों का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जहाँ वे धार्मिक पत्र-पत्रिकाओं, स्थानीय संवाददाताओं के माध्यम से समाचार-पत्रों, धार्मिक गतिविधियाँ संचालित होने वाले योग्य स्थानों, जिन मंदिरों, संस्थाओं के कार्यालयों, चातुर्मास स्थलों में नोटि बोर्ड आदि के द्वारा जन सामान्य तक पहुँचाएँ, वहीं द्वितीय परिपत्र की प्रति स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन या ग्राम पंचायत निकाय के प्रमुख अधिकारी को उपलब्ध कराएँ ताकि वे यथासमय उसका सम्यक् परिपालन करा सकें।

5 APR 2007

अधीक्षक कलेक्टर

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक— 2248 / 2006 / अठारह—3 भोपाल,दिनांक— 30 / 03 / 2007

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषय :— विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बावत् ।

संदर्भ :— इस विभाग का ज्ञापन क्र 69नं. / 18—3 / 90, दिनांक— 18 / 5 / 1990

—0—

उपरोक्त विषय के संबंध में इस विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा राज्य शासन ने निम्नांकित विशिष्ट अवसरों पर नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृहों एवं मांस बिक्री की दुकानों को बन्द रखे जाने के निर्देश जारी किये है :—

1 गणतंत्र दिवस
2. गांधी निर्वाण दिवस
3. महावीर जयंती
4. बुद्ध जयंती
5. स्वतंत्रता दिवस
6. गांधी जयंती
7. रामनवमी
8. डोल ग्यारस
9. पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन
10. पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन
11. अनन्त चतुर्दशी
12. जन्माष्टमी
13. संत श्री जिन तरण तारण जयंती
14. पर्यूषण पर्व में सवत्सरी श्वेताम्बर जैन
15. भगवान महावीर के 2500 वे निर्वाण
16. चैतीचांद एवं
17. गणेश चतुर्थी

—2—

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया राज्य शासन के संदर्भित निर्देशों के अनुसार उपरोक्त विशिष्ट अवसरों पर नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में पशुओं के वध और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखे जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नरेश पाल)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ0क0 2248/2006/अठारह–3 भोपाल,दिनांक–30/03/2007

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0 भोपाल ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0 ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, म0प्र0 भोपाल ।
4. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0 ।

30/3/07

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक/एफ-3/15/85/1/4/ भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 1985

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः- अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में जैन धर्मावलंबी शासकीय कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिये जाने बाबद ।

-----xxxx-----

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अनंत चतुर्दशी पर्व के उपलक्ष्य में शासकीय सेवाओं/संस्थाओं में कार्यरत सभी जैन धर्मावलंबी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाये । यह विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाय । यह विशेष आकस्मिक अवकाश उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जिन्होंने इस दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता0/-
[illegible]
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन सामान्य
प्रशासन विभाग

//कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल//

क्रमांक/स्था0/ए-1/ 22043 भोपाल, दिनांक -9-85

प्रतिलिपिः-

1- मुख्य वनसंरक्षक उत्पा0/विकास/वन्यप्राणी/आदिवासी प्रकोष्ठ/सामाजिक वानिकी
2- संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर
3- प्राचार्य वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट
4- समस्त वन संरक्षक मध्यप्रदेश
5- समस्त मुख्य लेखा कार्या0 प्र0मु0व0सं0
6- समस्त अधीक्षक कार्या0 प्र0मु0व0सं0
7- विक्रय अधिकारी, नई दिल्ली
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ता0/-
नि0प्रमुख वन संरक्षक म0प्र0भोपाल

//सत्यप्रतिलिपि//

000000

मध्यप्रदेश शासन
स्थानीय शासन विभाग

क्रमांक 906/69 मं./18-3/90 भोपाल, दिनांक 18/5/90

प्रति,

1. संचालक,
   नगरप्रशासन भोपाल।
2. समस्त जिलाध्यक्ष
   मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागीय उपसंचालक,
   नगरप्रशासन (म0प्र0)

विषय:- विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बावत ।

=0=

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 5666/330/18/नगर/एक, दिनांक 16 अगस्त 1971 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन आदेशित करता है, कि नीचे दिये गये विशिष्ट अवसरों पर, स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित समस्त पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने बंद रखी जाया करें ।

(1) गणतंत्र दिवस (2) गांधी निर्वाण दिवस (3) महावीर जयंती (4) बुद्धजयंती (5) स्वतंत्रता दिवस (6) गांधी जयंती (7) रामनवमी (8) डोल ग्यारस (9) पर्युषण पर्व का प्रथम दिन (10) पर्युषण पर्व का अंतिम दिन (11) अनन्त चतुर्दशी (12) जन्माष्टमी (13) संत तरण-तारण जयंती (14) पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा (15) भगवान महावीर के 2500 वे निर्वाण (16) चैतीचांद एवं (17) गणेश चतुर्थी ।

2/ आपके क्षेत्र में स्थित समस्त स्थानीय निकायों को तदनुसार उचित कार्यवाही के लिए निर्देशित करे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 18/5/90
(एस0पी0वैश्य)
अवर सचिव,
म0प्र0शासन, स्थानीय शासन विभाग

- 2 -

पृ0 क्र0 907/69 मं./18-3/90 भोपाल, दिनांक 18/5/90

प्रतिलिपि :-

समस्त आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव 18/5/90
म0प्र0शासन, स्थानीय शासन विभाग

प्रतिलिपि:-पत्र क्रमांक एफ-3-5/1990/1/4, भोपाल, दिनांक 17 जनवरी, 1992 द्वारा श्री एच. सिंह, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग संबोधित समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश, जिला विदिशा ।

विषय:- राज्य शासन के अंतर्गत कार्यरत जैन कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह में पर्युषण पर्व के अवसर पर धार्मिक कृत्य करने के लिये कार्यालय में देर से आने की अनुमति बाबत् ।

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 4734/1/4/1979 दिनांक 4 सितम्बर 1979.

----0----

इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 4734/1/4/1979 दिनांक 4 सितम्बर 1979 को संशोधित करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्वेताम्बर एवं दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी शासकीय कर्मचारियों को उनके पर्युषण पर्वों के लिये क्रमशः भाद्रपद कृष्णपक्ष 11 से भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थी/पंचमी तक और भाद्रपद शुक्ल पक्ष-5 से भाद्रपद शुक्लपक्ष-15 तक धार्मिक कृत्य करने के लिये कार्यालय में 12.00 बजे तक उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाये ।

2/ यह अनुमति केवल जैन कर्मचारियों को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार की जाये कि इससे शासकीय कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े तथा प्रत्येक कर्मचारी अपना कार्य अद्यतन रखेगा ।

3/ यह सुविधा जैन कर्मचारियों को उपरोक्त अवधि के लिये प्रति वर्ष लागू रहेगी ।

(एच. सिंह)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

[illegible] जिला विदिशा

[illegible] / [illegible] विदिशा, दिनांक [illegible]